

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार
अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/नगर विकास विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग/कल्याण विभाग/पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, प्रबंध निदेशक, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित) मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष परिक्षेत्र, राँची।

राँची/दिनांक :-

विषय:-विभागीय आदेश झापांक सं०-4518 दिनांक 31.08.2012 द्वारा स्थानान्तरित/पदस्थापित कनीय अभियंताओं को तीन दिनों के अन्दर निश्चित रूप से विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि विषयान्तर्गत वर्णित आदेश द्वारा जिन कनीय अभियंताओं का स्थानान्तरण किया गया है उनको अंतिम मौका देते हुए तीन दिनों के अन्दर निश्चित रूप से नव पदस्थापन स्थान पर योगदान हेतु विरमित किया जाना है।

जो नियंत्री पदाधिकारी स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर विरमित नहीं करेंगे वे भी विभागीय आदेश अवहेलना के लिए जिम्मेवार माने जाएंगे एवं उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत विभागीय कार्यवाही चलायी जाएगी।

वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने स्तर से विभागीय आदेश अनुपालन हेतु ठोस एवं सार्थक कार्रवायी करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को तुरंत उपलब्ध कराया जाय।

इस पत्र को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विभागीय वेबसाइट www.wrdjharkhand.nic.in पर भी upload किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

झापांक

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- विभागान्तर्गत सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

झापांक

6684

राँची, दिनांक :-

23-11-12

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)